

निदेशालय विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़
आदेश

कित्त विभाग की हिदायत दिनांक 20.05.2016 में प्रावधानानुसार अनुसार श्रीमती मीनिका पुनिया, अनुबंधित लिपिक का दिनांक 29.01.2018 से 23.03.2018 तक 54 दिन का प्रसुति अवकाश स्वीकृत किया जाता है व इस अवधि का वेतन ड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चण्डीगढ़, दिनांक
10.06.2020

सुशील सावरन, आई.ए.एस.
निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

फाइल नं. एए-2020/ 69303-06

दिनांक 29-07-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक पर्यवेक्षी हेतु प्रेषित है-

1. अधीक्षक-कम-डी.डी.ओ (मुख्यालय)।
 2. कित्त सहायक (मुख्यालय)।
 3. श्रीमती मीनिका पुनिया, अनुबंधित लिपिक (मुख्यालय)।
- ✓ आई.टी.ओ सेल।

15/8/20

SA/E

Amrita
5/8/20

Rug

अधीक्षक (प्रति-1)
कित्त, निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।